न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2002/4482/सवाई माधोपुर

1– गिरीराज) पुत्रगण श्री सुखदेवा
2– हीरा)
3– घीसी पत्नी हीरालाल
4– मु. नानगी पत्नि गिरीराज
सभी जाति मीणा निवासीगण ग्राम कोडयाई तहसील बोली
जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– जमनालाल पुत्र गोपी
2– किशनलाल पुत्र कोरया
3– प्रहलाद पुत्र हजारी
सभी जाति मीणा निवासी ग्राम कोडयाई तहसील बोली
जिला सवाई माधोपुर।
4– ग्राम पंचायत कोडयाई जरिय सरपंच।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बोली।

.....रेस्पोडेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री वी.पी. सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

दिनांक : 20 अक्टूबर, 2021

निर्णय

1– अपील अन्तर्गत धारा–220 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 13–8–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 3 ने अपीलान्टस के विरूद्ध ग्राम कोडयाई व थडी स्थित विवादित आराजी के

बाबत एक वाद वास्ते इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा विद्वान सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर मुख्यालय बौंली के न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वादीगण / प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. रूपा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, जो रूपा की मृत्यु पर अकेले जोधा के नाम दर्ज हो गई जबकि इसमें वादीगण का भी 1/2 हिस्सा है। उक्त वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपीलान्ट ने वाद पत्र में वर्णित कथनों से इन्कार किया एवं निवेदन किया कि विवादित आराजी से वादीगण का कोई भी संबंध व सरोकार नहीं है तथा विवादित आराजी अर्जुन पुत्र ओंकार जो कि अपीलान्ट संख्या–1 व 2 का सगा ताऊ का लड़का है, की खातेदारी में दर्ज थी एवं उसकी मृत्यु के पश्चात उसके एकमात्र वारिस मन्नी बेवा अर्जुन के नाम दर्ज हुई जिसने अपीलान्ट संख्या–1 के पक्ष में दिनांक 8–8–1994 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा तहरीर कर दिया। जिससे मन्नी की मृत्युपरान्त विवादित आराजी का नामान्तरकरण भी अपीलान्ट संख्या–1 के पक्ष में खोला जा चुका है एवं अपीलान्ट ही विवादित आराजी पर बहैसियत काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे। विद्वान सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–2002 द्वारा वादीगण का वाद निरस्त फरमा दिया जिसके विरूद्ध रेस्पो. संख्या–1 से 3 द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13–8–2002 द्वारा विधि विरूद्ध स्वीकार फरमाते हुये रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 3 को विवादित आराजी के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये अपीलान्टस को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया इस निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4– अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर मुख्यालय बौंली में प्रत्यर्थीगण ने एक वाद अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि विवादित भूमि उभय पक्षों के पूर्वज रूपाजी की थी। उनके 5 पुत्रों में से तीन पुत्र लाऔलाद फौत हो गये। शेष दो पुत्र जोधा एवं पॉचया थे। जोधा के विधिक वारिसान ऊॅकारिया एवं सुखदेवा थे। ऊॅकारिया का पुत्र अर्जुन था जिसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन की पत्नी मन्नी थी और पुत्र हरकेश था। हरकेश भी लाऔलाद विला औरत फौत हो गया। अतः अर्जुन की एकमात्र वारिस उसकी पत्नी मन्नी रह गई थी। सुखदेवा के अपीलार्थीगण विधिक वारिसान हैं। मन्नी ने एक पंजीकृत वसीयत गिर्राज के नाम करा दी है इस प्रकार मन्नी की आराजी के उत्तराधिकारी भी

अपीलार्थीगण हो गये हैं। प्रत्यर्थीगण ने जो दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर मुकाम बौंली में प्रस्तुत किया था जिसे बाद में संशोधित कर दिया गया था, में कथन किया कि विवादित आराजी रूपाजी की थी लेकिन वादीगण ने ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित भूमि रूपाजी की थी। पत्रावली में जो खसरा गिरदावरी की फोटो प्रतियां संलग्न हैं उन्हें साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है तथा खसरा गिरदावरी **''रिकार्ड ऑफ राईट''** नहीं है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदार घोषित कर दिया जाये। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवादित भूमि को पैतृक मानकर प्रत्यर्थीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने में गम्भीर त्रुटि की है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अर्जुन की पत्नी मन्नी देवी को वसीयत करने का अधिकारी नहीं माना है जबकि प्रत्यर्थीगण ने उक्त पंजीकृत वसीयत को सिविल न्यायालय में चुनौती दी थी। सिविल न्यायालय (क.ख) बौंली ने उनका वाद संख्या–20/99 अपने निर्णय दिनांक 6–3–1999 द्वारा खारिज कर दिया जिसमें निर्णय दिया था कि मन्नी देवी को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। उक्त निर्णय को किसी भी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। इसलिये यह निर्णय अन्तिम होने से अब वसीयत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–4–2002 जो कि तनकीवार पारित किया गया है, में अंकित किया है कि **''वादीगण ने रूपा के नाम की भूमि का रिकार्ड उर्दू में पेश किया है जिसकी हिन्दी अनुवाद की फोटो प्रति बहस के समय प्रस्तुत की गई है लेकिन रूपा के नाम दर्ज भूमि के अब कौन से खसरा नम्बर बने, इस बाबत वादीगण ने कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है और ना ही मिलान क्षेत्रफल पेश किया है।''** इस प्रकार वाद को निर्विवाद रूप से सिद्ध करने का भार वादीगण / प्रत्यर्थीगण का था लेकिन उन्होंने समुचित राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि विवादित भूमि रूपा की थी जो कि बाद में जोधा के नार्म दर्ज हो गयी। जो जमाबन्दी पत्रावली में संलग्न है उनमें हरकेश पुत्र अर्जुन एवं मन्नी बेवा अर्जुन का नाम अंकित है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण / प्रत्यर्थीगण का विवादित भूमि में कोई हक नहीं था इस प्रकार विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर मुख्यालय बौंली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–4–2002 एक विधिसम्मत, न्यायसंगत तथा तर्कसंगत निर्णय है जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13–8–2002 द्वारा अपास्त कर त्रुटि की है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का आक्षेपित निर्णय व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश–41 नियम–31 के प्रावधानों के विपरीत, बिना दस्तावेजों के तथा केवल कयासों व मौखिक साक्ष्य के आधार पर होने के कारण निरस्तनीय है।

5– प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विवादित आराजी रूपाजी की थी, यह पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड व गवाहों के बयानों से भली भांति सिद्ध है। उभय पक्षकार ''मीणा'' जन जाति के हैं। अतः उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। मन्नी देवी को वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था इसलिये वह वसीयत एक व्यर्थ का कागज है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने समस्त राजस्व रिकार्ड व गवाहों के बयानों का विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है जो पूर्णतया विधिसम्मत होने के कारण पोषणीय है। इस अपील में अपीलार्थीगण ने कोई ठोस व सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं अतः अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय ने संशोधित दावा व जवाबदावा के आधार पर छः तनकियां कायम की थी और प्रत्येक तनकीवार विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया था। वादीगण / प्रत्यर्थीगण को यह साबित करना था कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है जो उनके पूर्वज रूपाजी की थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि हाल में हरकेश व मन्नी की खातेदारी की भूमि वही है रूपाजी की खातेदारी में बता रहे है। इसके लिये उन्हें चैन डोक्यूमेन्ट प्रस्तुत करने चाहिये थे कि साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर कौन कौन से बने और वे किन किन की खातेदारी में थे। लेकिन उन्होंने ना तो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया और ना ही जोधा व पांच्या के नाम की कोई जमाबन्दी प्रस्तुत की है। जो खसरा गिरदावरी की फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं वे केवल फोटो प्रति होने के कारण साक्ष्य में पढ़ने योग्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा गिरदावरी कोई **''रिकार्ड ऑफ राईट''** नहीं है और खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। विचारण न्यायालय ने सीपीसी के आदेश–20 नियम–5 के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय प्रदान किया है। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने उक्त निर्णय अपास्त किया है तो उन्हें सीपीसी के आदेश–41 नियम–31 के अन्तर्गत प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन करते हुये पृथक पृथक तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था। लेकिन विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने आदेश–41 नियम–31 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार

निर्णय पारित नहीं कर विधिसम्मत निर्णय प्रदान नहीं किया है। इसलिये आक्षेपित निर्णय दिनांक 13-8-2002 निरस्त किये जाने योग्य है।

8- उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का आक्षेपित निर्णय दिनांक 13-8-2002 अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर मुख्यालय बौंली का निर्णय दिनांक 27-4-2002 बहाल किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष